न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 66/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/223)

1. हंसराज पुत्र रामनाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
2. रामकला पत्नि ओमप्रकाश पुत्रवधू रामनाथ, जाति अहीर निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
3. संजय पुत्र ओमप्रकाश पौत्र रामनाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
4. मोहित पुत्र ओमप्रकाश पौत्र रामनाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सुभाष चन्द्र पुत्र रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
2. सतीश कुमार पुत्र रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
3. सावित्री पत्नि अभय सिंह पुत्रवधू रामसिंह, जाति अहीर निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
4. प्रदीप पुत्र अभय सिंह पौत्र रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
5. विजय पुत्र अभय सिंह पौत्र रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
6. सुमन पुत्री अभय सिंह पौत्री रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
7. निर्मला पत्नि जसवन्त पुत्रवधू रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
8. राहुल पुत्र जसवन्त पौत्र रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
9. निशा पुत्री जसवन्त पौत्री रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

–असल रेस्पोडेन्ट्स

10. तहसीलदार, मुण्डावर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

– तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर निर्णय दिनांक 13.07.2023

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट ।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 10

निर्णय

दिनांक –08.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 13.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक अपील तहत न्यायालय में इन्तकाल संख्या 482 दिनांक 07.06.1994 वाके ग्राम

भुनगढा ठेठर, तहसील मुण्डावर के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 के पति व पिता ओमप्रकाश के पक्ष में विधि विरूद्ध दर्ज कर स्वीकार किया गया है से व्यथित होकर पेश की गई। जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2023 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तथा तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.1994 बाबत नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 13.07.2023 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट हंसराज पुत्र रामनाथ वगै0 द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 13.07.2023 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय में इन्तकाल संख्या 482 दिनांक 07.06.1994 के विरूद्ध असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा 28 साल बाद तहत न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि " यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 24.05.2022 को पेश की गई है जो करीब 28 वर्ष अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है। अपीलान्ट ने अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया। अपील किये जाने में हुए विलम्ब को कन्डोन कराने हेतु दिन प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है जो अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट विवेचन किया है कि अपील स्पष्टतया मियाद बाहर है और कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्ज नहीं किया है ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपील मियाद बाहर होने पर खारिज की जानी चाहिए थी लेकिन तहत न्यायालय ने अपने विवेचन के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विद्वान तहत न्यायालय में असल रेस्पोडेन्ट द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था। लेकिन उस प्रार्थना पत्र का निर्णय भी विद्वान तहत न्यायालय द्वारा नहीं किया गया और जल्दबाजी में पत्रावली की अनदेखी करते हुए पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है। विद्वान तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इन्तकाल 482 की अपील असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई। इन्तकाल संख्या 482 के मुताबिक सनद् पट्टा 35 दिनांक 17.09.1982 के आधार पर दर्ज व तस्दीक किया गया है और जो सनद् पट्टा संख्या 35 पुर्नावास दिनांक 17.09.1982 मिन अपीलान्ट संख्या 1 व अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता के नाम से जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इन्तकाल संख्या 482 पट्टे के आधार पर दर्ज व तस्दीक किया गया है। पट्टा संख्या 35 दिनांक 17.09.1982 को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है जब तक पट्टा प्रभाव में है तब तक इन्तकाल संख्या 482 के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कानूनन नहीं की जा सकती है। कानूनन तहत न्यायालय में असल–रेस्पोडेन्ट की अपील मैनटेनेबल नहीं थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा पट्टा संख्या 35 को आज तक चुनौती नहीं दी है और इन्तकाल संख्या 482 पट्टा संख्या 35 के आधार पर ही दर्ज व तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में असल–रेस्पोडेन्ट की अपील निरस्त किये जाने योग्य थी। विद्वान तहत न्यायालय ने एक हिबेनामा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया। जिसको तहत न्यायालय द्वारा हिबेनाम रजिस्टर्ड न होने की वजह से स्वीकार करना उचित नहीं समझते हुए अपीलाधीन निर्णय परित किया है जबकि हिबेनामें का इतना महत्व विद्वान तहत न्यायालय को नहीं देना चाहिए था और पत्रावली पर प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 482 व पट्टा संख्या

35 के उपर गौर करते हुए अपना निर्णय पारित करना चाहिए था। समस्त राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलान्टान का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। इन्तकाल की कार्यवाही में मिन अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकार के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनुवान सुभाष बनाम हंसराज वगैरह उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहां प्रस्तुत किया हुआ है। जो अभी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में भी तहत न्यायालय को इन्तकाल की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए थी क्योंकि पक्षकारान के अधिकारों का निर्णय नियमित वाद में ही हो सकेगा। इन्तकाल की कार्यवाही एक समरी प्रोसेडिंग है जिससे असल–रेस्पोडेन्ट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया। विवादित आराजी से असल–रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध व वास्ता सरोकार नहीं है। असल–रेस्पोडेन्ट गैर काबिज, गैर वास्ता शख्स है जिनका कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा और ना आज मौके पर है। मौके पर मिन अपीलान्टान की फसल खडी हुई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर दिनांक 13.07.2023 को निरस्त फरमाया जावे व इन्तकाल संख्या 482 दिनांक 07.06.1994 ग्राम भुनगडा ठेठर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर बदस्तूर बहाल रखा जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर ने उक्त विवादित आराजी ओमप्रकाश व हंसराज को उनके दादा मामराज पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सानोली द्वारा अपने पौते की सेवा से खुश होकर उन्हें दान दी गयी है तथा हिबैनामा के आधार पर तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा सनद पट्टा संख्या 35 दिनांक 17.09.1982 जारी किया गया लेकिन उक्त हिबैनामा रजिस्टर्ड नहीं होने कारण अपील स्वीकार की गयी है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2023 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रेस्पोडेन्ट द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था। लेकिन उस प्रार्थना पत्र का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया और अपील का निर्णय कर दिया गया। जबकि अपील का निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उक्तानुसार बिन्दुओ पर जॉच कर प्रकरण में धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पर विधिवत निस्तारण कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

1. आया कि विवादित भूमि पर आज दिनांक तक क्या गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आंवटी को प्राप्त हुये है अथवा नहीं। निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि आंवटी दान पत्र निष्पादित करने तक गैर खातेदार के रूप में ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

2. आया कि क्या गैर खातेदारी भूमि को बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये ही दान किया जाना आंवटन शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है अथवा नहीं ? तथा क्या उक्त प्रक्रिया विधिवत है अथवा नहीं ? क्या प्रकरण में भू आंवटन नियम 14(4) में कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं ?

3. आया कि विवादित आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदार अधिकार आंवटी को मृत्यु दिनांक तक यदि प्राप्त नहीं हुये थे तो क्या मौका कमीशनर नियुक्त कर विवादित आराजी के कब्जे काश्त की रिपोर्ट तलब की जाकर यदि आंवटी का कब्जा काश्त नहीं पाया जाता है तो क्या कब्जा काश्त के अभाव में प्रकरण में भू आंवटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आंवटन निरस्त किया जा सकता है अथवा नहीं ? तथा क्या उक्त भूमि को राजकीय/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिया जा सकता है अथवा नहीं ?

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर